संख्या-97/2025/3801/22-2-2023-17(1442)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 जनवरी 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरसिंह पाल पुत्र बुद्धसिंह, निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-09-2023) दिनांक-04-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नरसिंह पाल (बंदी सं0-16068) पुत्र श्री बुद्धसिंह, ग्राम-रतिभानपुर, थाना-सिकन्द्राराऊ, जनपद-हाथरस का निवासी है। ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.2005 को बन्दी ने राइफल से गोली मारकर प्रेमपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं-625/2005, धारा-302 आईपीसी में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी-द्वितीय, हाथरस के आदेश दिनांक 18.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.09.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा यथावत। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 02.02.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 27 दिन तया सपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.06.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का है इसलिए बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने, बन्दी से साक्षात्कार के आधार पर समिति द्वारा विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, दोनों पक्ष आपस में रंजिश मानते है बन्दी की रिहाई से किसी संगीन घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.2005 को बन्दी ने राइफल से गोली मारकर प्रेमपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरसिंह पाल पुत्र श्री बुद्ध सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नरसिंह पाल (बन्दी संख्या-16068) पुत्र श्री बुद्ध सिंह, निवासी जनपद-हाथरस को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-प/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-प/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-97/2025/3801(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/ वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन सं0-12101/2024 नरसिंह पाल बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19-07-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-97/2025/3801/22-2-2023-17(1442)/2023

दिनांक 29 जनवरी 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नरसिंह पाल (बंदी सं0-16068) पुत्र श्री बुद्धसिंह, ग्राम-रतिभानपुर, थाना-सिकन्द्राराऊ, जनपद-हाथरस का निवासी है। ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.2005 को बन्दी ने राइफल से गोली मारकर प्रेमपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं-625/2005, धारा-302 आईपीसी में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी-द्वितीय, हाथरस के आदेश दिनांक 18.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.09.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा यथावत। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 02.02.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 27 दिन तया सपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.06.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का है इसलिए बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने, बन्दी से साक्षात्कार के आधार पर समिति द्वारा विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, दोनों पक्ष आपस में रंजिश मानते है बन्दी की रिहाई से किसी संगीन घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.2005 को बन्दी ने राइफल से गोली मारकर प्रेमपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरसिंह पाल पुत्र श्री बुद्ध सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in